



दिनांक 02.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति 458 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फतेहगढ़/थाना कमालगंज

- 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की पीली-सफेद धातु के आभूषण
- 3500/-रूपये नगद बरामद

दिनांक 01.09.2026 को थाना कमालगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1-विशेषांक उर्फ हिमांशू 2-अर्जुन 3-अक्षय कुमार 4-सचिन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली-सफेद धातु के आभूषण, 3500/-रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कमालगंज क्षेत्रान्तर्गत चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कमालगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कमालगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-विशेषांक उर्फ हिमांशू निवासी मोहल्ला शास्त्रीनगर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।
- 2-अर्जुन निवासी नई बस्ती थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।
- 3-अक्षय कुमार निवासी हरदेवनगर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।
- 4-सचिन निवासी मोहल्ला अम्बेडकरनगर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी

- 1-चोरी की पीली-सफेद धातु के आभूषण।
- 3-3500/-रूपये नगद।

जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली फर्रुखाबाद

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की भारी मात्रा में पीली-सफेद धातु के आभूषण
- 01 मोबाइल फोन
- 14 हजार 820 रुपये नगद आदि बरामद

दिनांक 02.09.2026 को थाना कोतवाली फर्रुखाबाद व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1-आशू 2-पप्पू 3-सन्दीप को गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की भारी मात्रा में पीली-सफेद धातु के आभूषण, 01 मोबाइल फोन, 14 हजार 820 रुपये नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली फर्रुखाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली फर्रुखाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-आशू निवासी गंगा दरवाजा टूटी पुलिया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
- 2-पप्पू निवासी कुलेसरा थाना ईकोटेक 03, गौतमबुद्धनगर।
- 3-सन्दीप निवासी खानपुर टूटी पुलिया गंगादरवाजा थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी

- 1-चोरी की भारी मात्रा में पीली-सफेद धातु के आभूषण।
- 2-01 मोबाइल फोन।
- 3-14 हजार 820 रुपये नगद आदि।

जनपद सोनभद्र/थाना पिपरी

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- 464 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब
 - 01 मोबाइल फोन
 - 1200/—रूपये नगद
- 01 डीसीएम आइसर ट्रक बरामद

दिनांक 02.09.2026 को थाना पिपरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुर्धवा तिराहा के पास से अभियुक्त करन सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 464 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 मोबाइल फोन, 1200/—रूपये नगद, 01 डीसीएम आइसर ट्रक बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना पिपरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—करन सिंह निवासी देवनगर थाना भिवानी जनपद भिवानी, हरियाणा, स्थायी पता—ग्राम बवानी खेड़ा थाना बवानी खेड़ा जनपद भिवानी, हरियाणा।

बरामदगी

- 1—464 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।
- 2—01 मोबाइल फोन।
- 3—1200/—रूपये नगद।
- 4—01 डीसीएम आइसर ट्रक।

➤ जनपद एटा/थाना बागवाला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 80 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना बागवाला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राहुल को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 80 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद एटा/थाना मारहरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 40 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना मारहरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सत्यप्रकाश को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद मऊ/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त वीरेन्द्र को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
